20/12/19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अभिभाषक उप०। बहस हेतु अवसर चाहा अतः अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 9/1/20 को पेश हो।

9/1/2020 प्रत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे ब्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे ब्यस्त है। पत्राबली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/1/2020 को पेश हो।

15/1/2020 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित उभयपक्ष बहस हेतु अवसर चाहते है अतः अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/1/2020 को पेश हो।

27/1/2020 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उप०। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/2/2020 को पेश हो।

10/2/2020 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उप०। बहस उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/2/2020 को पेश हो।

28/2/2020 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधि...
मुख्यालय सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु॰ सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– प्रार्थना–पत्र/97/2014

सोहनी देवी पत्नी भंवर लाल जाति गुर्जर निवासी आंतरी तहसील धोद जिला–सीकर

–प्रार्थीया

बनाम

1. केशरराम पुत्र सुरजाराम
2. कैलाश मीणा पुत्र बलन्तुराम
   समस्त जाति मीणा निवासीगण ढाणी ताखरान तहसील धोद जिला–सीकर
3. तहसीलदार, तहसील धोद जिला–सीकर राज.

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अ. धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते कायमी पुख्ता नींव सींव

उपस्थिति–

1. श्री सागरमल ढाका, वकील प्रार्थीया की ओर से
2. श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से

–:आदेशः–

दिनांक–28.02.2020

1. प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया के कब्जे–काश्त व खातेदारी की स्वअर्जित भूमि खसरा सं. 352 रकबा 0.9700 हेक्टेयर वाके ग्राम आंतरी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमि के पूर्व में खसरा सं. 1194/337 अवस्थित है तथा दक्षिण में खसरा सं. 353 अवस्थित है। पूर्वी व दक्षिण सींव का मौके पर कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी की भूमि के उत्तरी सींवा–जोड़ भूमि के सहारे वर्षा ऋतु के पानी की निकासी है। अप्रार्थी सं. 1 ने धीरे–धीरे पानी का रास्ता अवरूद्ध कर सींव पर लगे पेड़ पौधे आदि हटा दिये व सींव के निशानात मिटा दिये, प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने की कुचेष्ठा है, कहने पर लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो जाते है तथा यह धमकियां देते है कि खाई लगाकर उत्तरी सीमा पर पीलर खड़ा कर देंगें। इसी प्रकार पश्चिमी सीमा पर अवस्थित अप्रार्थी सं. 2 ने भी बुवाई जुताई करवा कर पश्चिमी सीमा को नष्ट कर प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने की कुचेष्ठा की है। अप्रार्थीगण आये दिन बार–बार सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है तथा इस विवाद को समाप्त करने के लिए प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार धोद के आदेशानुसार दिनांक 08.06.2014 को सीमाज्ञान किया जा चुका है, परन्तु अप्रार्थीगण सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थी को हैरान व परेशान कर रहे है। बार–बार विवाद होने की स्थिति को समाप्त करने के लिए उक्त वर्णित अराजियात की पत्थरगड्डी करवाया जाने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 352 रकबा 0.97 हेक्टेयर व अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य जरिये पुलिस इमदाद से पुख्ता नींव–सींव कायम करवाये जाने के आदेश फरमाया जावें तथा अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 352 वाके ग्राम आंतरी तहसील धोद की

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

सींव को खुर्द बुर्द करने, अतिक्रमण करने व सींव के पेड़–पौधों को नष्ट करने से बाज रहें।

2. प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी, एड. उपस्थित हुए परन्तु जवाब पेश नहीं किया।

3. बहस उभयपक्ष से सुनी गई। दौराने बहस वकील प्राथीया की ओर से यह कथन किया गया कि सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार ही पत्थरगड्डी के आदेश दिया जाना न्यायोचित है। वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से कथन किया गया कि राजस्व नक्शा व सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगड्ड़ी कराई जावें जो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

4. बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 ग्राम आंतरी के अनुसार विवादित खसरा सं. 352 रकबा 0.97 हेक्टेयर की प्रार्थीया एकमात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसका सीमाज्ञान तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.06.2014 को कराया जा चुका है। प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 राजस्व नक्शा के अनुसार पत्थरगड्डी कराने पर सहमत है। रिकॉर्डेड खातेदार को सीमाज्ञान के पश्चात् भी विवाद होने पर पत्थरगड्डी कराने का अधिकार है। अतः प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा सं. 352 रकबा 0.97 हेक्टेयर वाके ग्राम आंतरी तहसील धोद जिला का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08.06.2014 के अनुसार पत्थर गड्डी करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार, धोद को पालनार्थ लिखा जावें कि वह प्रकरण में सभी पक्षकारों को जरिये नोटिस/उचित माध्यम से सूचित कर उनकी उपस्थिति में विधिपूर्वक पत्थरगड्डी की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.03.19 14:35:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: